

## राष्ट्रीय लोक अदालत-2025

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 19(2) के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा के आदेश क्रमांक 16 दिनांक 04.03.2025 द्वारा आयोजित)

प्रार्थी/वादी/परिवादी - खेमाराम

अप्रार्थी/प्रतिवादी/उत्तरदाता - धन्नाराम व अन्य

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर

प्रकरण संख्या - 46/2024

उपस्थिति :-

1. श्री सुश्री वैदानी सिंह राजपुरोहित, अति० न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 01, बाड़मेर - न्यायिक अधिकारी
2. श्री वीरमाराम, उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर - सदस्य


अधिनिर्णय

दिनांक : 08.03.2025

प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवाद राष्ट्रीय लोक अदालत के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किया गया है और पक्षकारान ने प्रकरण में समझौता/राजीनामा/परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के निर्बन्धनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है -


पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.07.2015 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार गुड़ामालानी को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान की सहमति एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विवादित आराजी के विभाजन की कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करें।


पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय की फीस, यदि कोई उनमें से किसी द्वारा संदत्त की गई है तो यह वापस की जाएगी।




सदस्य

राष्ट्रीय लोक अदालत

  
सदस्य  
राष्ट्रीय लोक अदालत



अध्यक्ष  
08/03/25  
राष्ट्रीय लोक अदालत

  
अध्यक्ष  
राष्ट्रीय लोक अदालत

